भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र

विज्ञापन संख्या : आरआरकेट-2/2018 दिनांक 08/08/2018
ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम दिनांक : 10/09/2018

“सरकार इस प्रकार के कार्यबल के लिये प्रयत्नशील है जिससे लैंगिक संतुलन बना रहे और इसलिये महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।”

राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र, इंदौर में पात्र अभ्यर्थियों से निम्नलिखित पदों पर भर्ती के लिये ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :

<table>
<tr><th>पद कोड</th><th>पद का नाम</th><th>पदों की संख्या</th><th>शैक्षणिक योग्यताएं</th></tr>
<tr><td>I</td><td>प्रवर श्रेणी लिपिक</td><td>09
[अनारक्षित -5, अजजा-4]</td><td>आवश्यक :
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उसके समकक्ष से कुल 50% अंकों के साथ डिग्री।
अगर विश्वविद्यालय द्वारा लेटर ग्रेड/सीजीपीए/ओजीपीए प्रदान किया जाता है, तो उसे विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार्य मानकों के अनुसार अंकों के प्रतिशत के समतुल्य इंगित किया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी के बारे में विचार नहीं किया जाएगा।
वांछनीय :
अंग्रेज़ी में 30 शब्द प्रति मिनट टाइप करने की न्यूनतम गति। परंतु शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति जो लिपिक पद धारण करने के लिये अन्यथा अर्हित है, किंतु टंकण में उक्त अर्हता नहीं रखता है, इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्त किया जा सकता है कि दिव्यांगों के लिये विशेष रोज़गार कार्यालय से संबद्ध चिकित्सा बोर्ड या जहां ऐसा बोर्ड नहीं है वहां सिविल सर्जन यह प्रमाणित करें कि उक्त दिव्यांग व्यक्ति टाइप करने के लिये उपयुक्त अवस्था में नहीं है।
कम्प्यूटर डाटा प्रोसेसिंग का ज्ञान।</td></tr>
<tr><td>चयन प्रक्रिया</td><td colspan="3">चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित का समावेश रहेगा :
<table><tr><td>चरण 1 परीक्षा</td><td>वस्तुनिष्ठ परीक्षा में शामिल :
1. सामान्य अंग्रेज़ी
2. सामान्य ज्ञान
3. सामान्य बुद्धिमता एवं तार्किक क्षमता
4. मात्रात्मक अभिवृत्ति (अंकगणित)</td></tr></table></td></tr>
</table>

	चरण 2 परीक्षा | अंग्रेज़ी भाषा एवं बोध (वर्णनात्मक लिखित परीक्षा) चरण 1 केवल अर्हता परीक्षा / स्क्रीनिंग परीक्षा है जो चरण 2 मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को शॉर्ट-लिस्ट करने हेतु है । सूचीबद्ध करने का मापदण्ड चरण 2 (मुख्य) परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा । चरण 1 में अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम योग्यता मानक कुल 40% एवं अन्य अभ्यर्थियों के लिए कुल 50% होंगे ।
आयु	न्यूनतम 18 वर्ष एवं अनारक्षित श्रेणी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 27 वर्ष एवं अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 32 वर्ष की आयु, आवेदन जमा करने की अंतिम दिनांक को होनी चाहिए।
वेतन	` 25,500/- (वेतन मेट्रिक्स का लेवल-4, सेल-1) साथ ही केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए लागू यथादेय भत्ते ।
कार्य की प्रकृति	मिसिलों का रखरखाव, टिप्पण, आलेखन, पत्राचार, पत्रों का टंकण, विभिन्न डेटा तैयार करना, डाटा की निगरानी, पंजिकाओं का रखरखाव, आने एवं जाने वाली डाक संबंधी पंजीका का रखरखाव ।

पद कोड	पद का नाम	पदों की संख्या	शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव
II	चालक (सामान्य ग्रेड)	04 [अनारक्षित-02, अपिव-01, अजजा-01]	**अनिवार्य :** i. दसवीं कक्षा उत्तीर्ण; ii. हल्के तथा भारी यानों को चलाने के लिये विधि मान्य वाहन चालन अनुज्ञप्ति धारक हो; iii. मोटर वाहन प्रणाली का ज्ञान हो; (उक्त अभ्यर्थी, यान में छोटी-छोटी त्रुटियों को ठीक कर सकता हो); iv. हल्के या भारी वाहन चलाने का कम से कम 03 वर्षों का समेकित अनुभव हो । **वांछनिय :** द्विपहिया यानों को चलाने हेतु वैध अनुज्ञप्ति धारक हो।
चयन प्रक्रिया	चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित का समावेश होगा : **चरण-1** : लिखित परीक्षा – सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, अंकगणित, मोटरवाहन अधिनियम **चरण-**2 : वाहन चालन परीक्षण पेनलबद्ध करने के लिये मापदण्ड चरण-1 एवं चरण-2 के प्रदर्शन के आधार पर होगा । चरण-1 में अपिव एवं अजजा अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम योग्यता मानक कुल 40% तथा अन्य के लिये कुल 50% होगा ।		
आयु	न्यूनतम 18 वर्ष एवं अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम 27 वर्ष, अपिव अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम 30 वर्ष तथा अजजा अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम 32 वर्ष की आयु, आवेदन जमा करने की अंतिम दिनांक को होनी चाहिए।		
वेतन	` 19,900/- (वेतन मेट्रीक्स का लेवल-2, सेल-1) साथ ही केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए लागू यथादेय भत्ते।		
कार्य की प्रकृति	हल्के एवं भारी वाहनों का चालन एवं रखरखाव, निर्धारित लॉग बुक में दैनिक आधार पर किए गए कर्तव्यों के बारे में आवश्यक प्रविष्टियां करना और सत्यापन के लिए इसे प्रस्तुत करना । ड्यूटी में रात-दिन की पारी में कार्य करना शामिल है ।		

पद कोड	पद का नाम	पदों की संख्या	शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव
III	कार्य सहायक/ए	02 [1-एच.एच. -श्रवण बाधित तथा 1-वी.एच. - कम दृष्टि]	दसवीं कक्षा उत्तीर्ण
विकलांगता विवरण	"श्रवण दुर्बलता" का अर्थ है कि बेहतर कान में वार्तालाप आवृत्ति की तीव्रता साठ डेसिबल या अधिक की क्षति । "कम दृष्टि वाला व्यक्ति" का अर्थ उपचार के बाद भी देखने की प्रक्रिया में दुर्बलता या मानक परावर्तक सुधार लेकिन जो उसका उपयोग करता है या उपयुक्त सहायक उपकरण के साथ किसी कार्य को निष्पादित करने हेतु उसका संभावित उपयोग करना ।		
चयन प्रक्रिया	सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होगा । लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी एवं अंकगणित का समावेश होगा । लिखित परीक्षा में समान अंक होने की दशा में योग्यता सूची में स्थान निर्धारित करने हेतु क्रमानुसार निम्नलिखित मानदण्डों को अपनाया जाएगा : • जिस अभ्यर्थी के कक्षा 10 में कुल अंको का प्रतिशत अधिक होगा, चयन सूची में वरिष्ठ होगा • अधिक आयु वाला अभ्यर्थी चयन सूची में वरिष्ठ होगा		
आयु	न्यूनतम 18 वर्ष एवं अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम 37 वर्ष, अपिव अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम 40 वर्ष तथा अजा/अजजा अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम 42 वर्ष की आयु, आवेदन जमा करने की अंतिम दिनांक को होनी चाहिए ।		
वेतन	` 18,000/- (वेतन मेट्रीक्स का लेवल-1, सेल-1) साथ ही केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए लागू यथादेय भत्ते ।		
कार्य की प्रकृति	पोस्टिंग के स्थान पर आधारित निम्न में से कोई भी: 1. प्रयोगशालाओं और कार्यालय भवनों के प्रसाधन सामग्री का रखरखाव और आसपास के क्षेत्रों सहित शौचालय, क्षेत्र में स्वच्छ, साफ और स्वच्छ वातावरण प्रदान करना और कार्यालय के विविध कार्य करना । 2. संयंत्र / मशीनरी की सफाई और शुद्धिकरण, संयंत्र / कार्यशाला / भण्डार और अन्य उपयोगी कार्यो में सहायता करना । ड्यूटी में रात-दिन की पारी में कार्य करना भी शामिल है । 3. मिट्टी को खोदकर और विभिन्न पौधों के रोपण से बगीचों को विकसित करना ड्यूटी में शामिल है; बगीचे का सफाई, पानी, खरपतवार, लवाई, खाद, छिड़काव से रखरखाव और फूलों की व्यवस्था करना । 4. जुताई, कटाई, बीज छँटाई / पैकिंग, कीटनाशकों और उर्वरक से उपचार, पक्षियों से बचाना आदि सहित कृषि संचालन । 5. विविध कार्यालयीन कार्य इत्यादि		

<u>उपर्युक्त के अलावा आयु में निम्नलिखित छूट भी लागू है :</u>

क) शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए (सिर्फ पद कोड I के लिए लागू) अधिकतम 10 वर्ष है ।

ख) विधवा, तलाकशुदा एवं न्यायिक रूप से अपने पति से अलग हो चुकी महिलाओं और जिन्होंने फिर से विवाह नहीं किया है, वे सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट के लिए पात्र हैं ।

ग) उन सभी व्यक्तियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी जो जम्मू एवं कश्मीर राज्य के कश्मीर संभाग में दिनांक 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 तक की अवधि के दौरान अधिवासी रहे हैं, परन्तु किसी भी परीक्षा में भाग लेने हेतु ऊपरी आयु सीमा में छूट संबंधित नियमों के अंतर्गत उचित अवसरों की अधिकतम संख्या के अनुसार दी जाएगी ।

<u>निवास संबंधी प्रमाण-पत्र</u> :

कोई भी व्यक्ति जो केन्द्रीय सिविल सेवा एवं सिविल पद (सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा) नियमावली, 1998 के तहत लागू आयु सीमा में छूट का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें निम्नलिखित अधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा :-

i) जम्मू कश्मीर संभाग के जिला मजिस्ट्रेट से जिसके क्षेत्राधिकार में वे सामान्यत: रहते थे ।

अथवा

ii) कोई अन्य प्राधिकारी जो जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से पदनामित किया गया हो द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि वे जम्मू-कश्मीर राज्य के कश्मीर संभाग में दिनांक 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 की अवधि के दौरान मूलरूप से अधिवासी थे ।

घ) भूतपूर्व सैनिकों, विभागीय अभ्यर्थियों (केन्द्र सरकार के असैनिक कर्मचारी), 1984 के दंगों में मारे गए व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को विद्यमान सरकारी आदेशों के अनुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी ।

<u>नोट</u> : केवल मेट्रीकुलेशन प्रमाण-पत्र / नगर पालिका / निगम द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र में लिखित जन्मतिथि ही स्वीकार की जाएगी । बाद में जन्मतिथि में परिवर्तन का कोई भी निवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

<u>सामान्य अनुदेश :</u>

क. आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे विज्ञापन में दि गई आवश्यक मानदण्डों को पूरा करते हैं । अभ्यर्थियों को सही जानकारी देना आवश्यक है । अभ्यर्थियों को उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर ही लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा । यदि बाद में अन्य किसी चरण स्तर यह पता चलता है कि अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी गलत है या अभ्यर्थी आवश्यक मानदण्डों को पूरा नहीं करता है तो उसकी उमीदवारी निरस्त कर दी जाएगी एवं कोई भी पत्राचार नहीं किया जाएगा ।

ख. विज्ञापन में दर्शाए गए रिक्त पद सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से ही भरे जाएंगे और यदि निर्णय लिया गया तो समय-समय पर जारी सरकारी आदेशों के अनुसार पद न भी भरे जा सकते हैं ।

ग. विज्ञापन में नियत पात्रता मानकों जिसमें अनुभव की अवधि भी शामिल है, का निर्धारण आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक के संदर्भ में किया जाएगा ।

घ. **<u>यात्रा भत्ता</u>**

(i) लिखित परीक्षा हेतु बाहर से बुलाए गए समस्त अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को नियमानुसार लघुत्तम मार्ग से आने-जाने का द्वितीय श्रेणी का रेल किराया (टिकट प्रस्तुत करने पर) यात्रा-भत्ते के रूप में दिया जाएगा ।

(ii) तथापि, लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले अजा/अजजा के अभ्यर्थी जो पहले से ही केंद्र/राज्य सरकार सेवा, केंद्र/राज्य सरकार निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्तशासी निकाय,

स्थानीय सरकारी संस्थान, पंचायत में कार्यरत हैं और रेलवे से इस यात्रा संबंधी रियायत ले चुके हैं वे इस यात्रा-भत्ता के पात्र नहीं होगें।

(iii) यात्रा-भत्ता फार्म आरआरकेट की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। यात्रा-भत्ते का भुगतान अजा/अजजा जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति एवं पेपर टिकिट प्रस्तुत करने पर ही प्रदान किया जाएगा।

ङ. आरआरकेट, इन्दौर बिना सूचित किए अथवा बिना कोई कारण बताए पद भरने / रद्द करने / प्रतिबंधित करने / संशोधन करने / पूरी भर्ती प्रक्रिया परिवर्तित करने का पूरा अधिकार सुरक्षित रखता है।

च. जो अभ्यर्थी आवेदन करने की अंतिम दिनांक 10/09/2018 तक अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता / अनुभव प्राप्त नहीं कर पाते हैं / नहीं करेंगे तो वे पात्र नहीं है अत: उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

छ. अभ्यर्थियों से अनुरोध किया जाता है कि वे हमारी वेबसाईट <http:/rrcat.gov.in/hrd/Openings/Current_Openings.html> का लगातार अवलोकन करते रहें ताकि उन्हे इस विज्ञापन से संबंधित जानकारी मिलती रहे।

ज. जिन भूतपूर्व सैनिकों ने अपने पुनः नियोजन हेतु भूतपूर्व सैनिकों को दिए जानेवाले आरक्षण के लाभों का उपयोग करके नियमित आधार पर ग्रुप "सी" पदों में केंद्र सरकार के अधीन असैन्य सेवा क्षेत्र में पहले ही रोजगार प्राप्त कर लिया है, वे भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी के तहत आरक्षण लाभों का दावा करने के पात्र नहीं हैं।

झ. लिखित परीक्षा / वाहन चालन परीक्षण का आयोजन आरआरकेट, इन्दौर में ही किया जाएगा।

आवेदन कैसे करें

(i) केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे।

(ii) ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 10/09/2018 है।

(iii) अभ्यर्थी अपने आवेदन ऑन-लाइन प्रस्तुत करने हेतु http:/rrcat.gov.in/hrd/Openings/Current_Openings.html वेबसाईट का अवलोकन करें।

(iv) अभ्यर्थियों के पास वैध ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नम्बर होना चाहिए, जो कि संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रहना चाहिए। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा / चालक परीक्षण जो भी लागू हो, हेतु बुलावा पत्र केवल पंजीकृत ई-मेल आईडी पर ही भेजा जाएगा।

(v) परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी करना नियुक्ति के लिए कोई अधिकार नहीं देगा। नियुक्ति पूरी तरह से सभी पात्रता शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी।

(vi) वेबसाइट पर उपयोगकर्ता निर्देशिका उपलब्ध है, जिसमें आवेदन प्रक्रिया एवं हाल ही का फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को अपलोड करने संबंधी विवरण स्पष्ट तौर पर समझाया गया है। **अभ्यर्थी कृपया**

ध्यान दें की ऑनलाईन आवेदन जमा करते समय अन्य कोई दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है । ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व आवेदक उपयोगकर्ता निर्देशिका को पूरी तरह पढ़ लेवें ।

(vii) ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने में होने वाली किसी भी विसंगति के लिये आरआरकेट जिम्मेदार नहीं रहेगा । अत: आवेदकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अनुदेशों एवं उपयोगकर्ता निर्देशिका का सख्ती से पालन करें ।

(viii) आवेदन पत्र अपलोड / प्रस्तुत करने से पूर्व अभ्यर्थियों को इस पद के लिए अपनी पात्रता के प्रति सजग एवं आश्वस्त होना चाहिए । आवेदन पत्र से संबद्ध किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए ।

(ix) आवेदक के पास आवेदन जमा करने की अंतिम दिनांक तक आवश्यक शैक्षणिक योग्यता व अनुभव प्राप्त होना चाहिए ।

(x) एक पद हेतु केवल एक ही आवेदन-पत्र स्वीकार किया जाएगा । अगर अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए आवेदन करने का इच्छुक है, तो उन्हें प्रत्येक पद हेतु अलग से ऑनलाइन आवेदन करना होगा ।

(xi) अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि उन्हें अंतिम दिनांक का इंतज़ार किए बिना, समय रहते ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए ।

(xii) केन्द्रीय / राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / स्वायत्तशासी निकाय इत्यादि में कार्यरत अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा / चालक परीक्षण जो भी लागू हो, में शामिल होने के समय अपने नियोक्ता द्वारा जारी **"अनापत्ति प्रमाण-पत्र"** प्रस्तुत करना होगा; ऐसा न करने पर उन्हें लिखित परीक्षा / चालक परीक्षण जो भी लागू हो, में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(xiii) प्रवर श्रेणी लिपिक एवं चालक (सामन्य ग्रेड) के पद हेतु आवेदन किये अभ्यर्थियों को चरण-2 के समय तथा कार्य सहायक/ए के पद हेतु आवेदन किये गये अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के समय, आवेदन पत्र के प्रिंट आऊट तथा निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों तथा स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना होगी :

- क. हाल ही में खींचा हुआ रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो
- ख. आयु संबंधी प्रमाण पत्र (मेट्रीकुलेशन प्रमाण-पत्र / म्यूनिसिपल जन्म प्रमाण-पत्र)
- ग. शैक्षणिक / तकनीकी योग्यताएं
- घ. ड्राइविंग लाइसेंस (यदि लागू हो)
- ङ. अनुभव प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
- च. आरआरकेट की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
- छ. आरआरकेट की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में दिव्यांग प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
- ज. जम्मू-कश्मीर संभाग में 01.01.1980 से 31.12.1989 तक अधिवासी होने सबंधी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
- झ. 1984 के दंगों में प्रभावित होने संबंधी प्रमाण (यदि लागू हो)
- ञ. अन्य कोई संबद्ध प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)

<u>शारीरिक रूप से नि:शक्तता प्रमाण-पत्र की महत्वपूर्ण अपेक्षाएँ</u> :

i) नि:शक्तता की परिभाषा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29.12.2005 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36035/3/2004-Estt(Res) में उल्लिखित के अनुसार।

ii) आरक्षण हेतु नि:शक्तता की न्यूनतम श्रेणी / प्रतिशतता : 40 %

iii) केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 31/12/1996 को अधिसूचित नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, संरक्षण अधिकार और पूर्ण सहभागिता) नियमावली, 1996 के अनुसार नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, संरक्षण अधिकार और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 73 की उपधारा (1) तथा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, नि:शक्तता प्रमाणपत्र केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से जारी किया जाना चाहिए। केन्द्र / राज्य सरकार कम से कम तीन सदस्यों का एक मेडिकल बोर्ड गठित करें जिनमें कम से कम एक सदस्य संबद्ध क्षेत्र का विशेषज्ञ हो।

iv) जिन अभ्यर्थियों में नि:शक्तता अस्थाई तौर पर है, उनके लिए प्रमाण-पत्र 5 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा। जहाँ कहीं नि:शक्तता की मात्रा में परिवर्तन की संभावना रहेगी वहाँ प्रमाण-पत्र की वैधता की अवधि मेडिकल बोर्ड दर्शाएगा। जिन्हें स्थाई नि:शक्तता है उनके प्रमाण पत्र स्थाई रूप से मान्य हो सकते हैं। अभ्यर्थियों के अभ्यावेदन पर, मेडिकल बोर्ड सभी तथ्यों और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है और ऐसे आदेश जारी कर सकता है जो मामले के लिए उचित होंगे।

v) दिव्यांग अभ्यर्थियों को वर्तमान सरकारी नियमों के अनुसार प्रतिपूरक समय दिया जाएगा।

vi) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्ति जिनका चयन बिना किसी छूट के अपनी योग्यता के बल पर अन्य अभ्यर्थियों के साथ हुआ है, उन्हें अनारक्षित रिक्तियों में माना जाएगा, बशर्ते कि वह पद शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्ति से संबद्ध श्रेणी में आता हो।

चयन न किए गए उम्मीदवारों के रिकार्ड चयनित सूची तैयार करने की तिथि से 6 माह बाद सुरक्षित नहीं रखे जाएंगे।

किसी भी प्रकार की सिफारिश को अयोग्यता माना जाएगा।

****